

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/

जयपुर, दिनांक 30.4.10

जिला कलेक्टर,

10461-98

अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जाधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिराही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।

विषय:- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों में चारा परिवहन अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

इस विभाग के आदेश दिनांक 10.3.2010 से अकाल के दौरान चारा डिपो हेतु क्य कर लाए जाने वाले चारे के वाहनों में अधिकतम भार वहन योग्य चारे की मात्रा निर्धारित किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में कतिपय जिला कलेक्टरों द्वारा निर्धारित से अधिक मात्रा में धर्मकांटा पर परिवहन कर लाए गए चारे के अनुदान भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 10.3.2010 के संदर्भ में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक चारा परिवहन कर लाये जाने की स्थिति में सहायता निर्देशिका के पैरा 15.1.2.4 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि " भार वहन क्षमता (Loading capacity) से अधिक वजन होने पर भुगतान समुचित जांच के पश्चात् किया जाना चाहिये। "

उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

30/4/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव